REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235812 CG-DL-E-18052022-235812

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2138]नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944No. 2138]NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

का.आ. 2253(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 157 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
157	48	दिल्ली के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर, हरियाणा राज्य में
		बावल, राजस्थान राज्य में जयपुर के निकट कोटपुतली, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
		उदयपुर, गुजरात राज्य में अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई, थाणे,
		पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कर्नाटक राज्य में बेलगाम, चित्रदुर्ग, बंगलुरु, तमिलनाडु राज्य में
		वेल्लोर को जोड़ने वाला और चेन्नै के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने

	वाला राजमार्ग, जिसमें तमिलनाडु राज्य में थंडावलम के निकट अपने जंक्शन से शुरू होकर
	मन्नूर, थोडुकाडु, सेंगाडु, उलुंडई को जोड़ने और हुसैननगरम के पास समाप्त होने वाला स्पर
	शामिल है।

[फा. सं. एनएच-14012/12/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और इसके बाद संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2214(अ), दिनांकित 13 मई, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2022

S.O. 2253(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 157 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
157	48	The highway starting from its junction with NH-44 near Delhi, Bawal in the State of Haryana, Kotputli, near Jaipur, Kishangarh, Bhilwara, Chittaurgarh, Udaipur in the State of Rajasthan, Ahmedabad, Vadodara, Ankleshwar in the State of Gujarat, Mumbai, Thane, Pune, Satara, Kolhapur in the State of Maharashtra, Belgam, Chitradurga, Bangaluru in the State of Karnataka, Krishnagiri, Vellor and terminating at its junction with NH-16 near chennai in the State of Tamil Nadu <i>including spur starting from its junction near Thandavalam connecting Mannur, Thodukadu, Sengadu, Ulundai and terminating near HussainNagaram in the state of Tamil Nadu.</i>

[F. No. NH-14012/12/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2214 (E), dated 13th May, 2022.